निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 भाद्र 1947 (श0)

(सं0 पटना 1451) पटना, बुधवार, 3 सितम्बर 2025

कृषि विभाग

अधिसूचना

2 सितम्बर 2025

सं० 04/पौ०सं०अधी०से०नियमा०/233/2023–694/कृ०––भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि–5 (पौधा संरक्षण) सेवा नियमावली, 2014 (समय–समय पर यथा संशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।–**
   (1) यह नियमावली **''बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि–5 (पौधा संरक्षण) (संशोधन) नियमावली, 2025''** कही जा सकेगी।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2. **बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि–5 (पौधा संरक्षण) सेवा नियमावली, 2014 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–2 के उप नियम– (iv) एवं (v) का प्रतिस्थापन।**– उक्त नियमावली के नियम–2 के उप नियम– (iv) एवं (v) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा।–

   (iv) 'आयोग' से अभिप्रेत है, ''बिहार लोक सेवा आयोग'';

   (v) 'सदस्य' से अभिप्रेत है, बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि–5 (पौधा संरक्षण) में नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति;

3. **बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि–5 (पौधा संरक्षण) सेवा नियमावली, 2014 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–4 के उप नियम (1) का प्रतिस्थापन।**– उक्त नियमावली के नियम–4 के उप नियम–(1) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा।–

''(1) इस संवर्ग की संरचना निम्नवत् होगी–

क्र०	कोटि का नाम	कोटि का स्तर	प्रास्थिति
(क)	पौधा सरक्षण पर्यवेक्षक	मूल कोटि का पद	अराजपत्रित
(ख)	पौधा संरक्षण निरीक्षक	प्रथम प्रोन्नति का पद	अराजपत्रित

4. **बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि–5 (पौधा संरक्षण) सेवा नियमावली, 2014 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–5 के उप नियम (2) एवं (3) का विलोपन।**– उक्त नियमावली के नियम–5 के उप नियम (2) एवं (3) को विलोपित किया जायेगा।

5. **बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि–5 (पौधा संरक्षण) सेवा नियमावली, 2014 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–6 का प्रतिस्थापन।**– उक्त नियमावली के नियम–6 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा।–

> ''**शैक्षणिक अहर्ता।**– संवर्ग में मूल कोटि के पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय/ संस्थान से कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री होगी।''

6. **बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि–5 (पौधा संरक्षण) सेवा नियमावली, 2014 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–7 के उप नियम (ख) एवं (ड.) का प्रतिस्थापन।**– उक्त नियमावली के नियम–7 के उप नियम (ख) एवं (ड.) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा।–

> ''(ख) प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदन हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु वही होगी जैसा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में सीधी भर्त्ती के लिए समय–समय पर निर्धारित किया जाय। उम्र की गणना विज्ञापन वर्ष के 01 अगस्त के आधार पर की जायेगी।
>
> (ड.) प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखित पत्र होगें–
>
> *(i)* सामान्य हिन्दी – **100 अंक (एक पत्र)**
>
> *(ii)* सामान्य ज्ञान – **100 अंक (एक पत्र)**
>
> *(iii)* कृषि विज्ञान (200 अंक का दो पत्र) कुल – **400 अंक**
>
> प्रतियोगिता परीक्षा में 100 अंको के हिन्दी विषय में उतीर्ण होना अनिवार्य होगा किन्तु, इसका प्राप्तांक की गणना मेधा सूची बनाने के प्रयोजनार्थ नहीं की जायेगी। मेधा सूची कृषि विज्ञान में 200–200 अंकों के दो प्रश्न पत्रों, सामान्य ज्ञान के 100 अंकों के एक प्रश्न पत्र के प्राप्ताकों के योग के आधार पर तैयार की जायेगी। हिन्दी तथा सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विनिश्चित किया जाएगा। कृषि विज्ञान का पाठ्यक्रम बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विभाग के परामर्श से तैयार किया जा सकेगा।''

7. **बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि–5 (पौधा संरक्षण) सेवा नियमावली, 2014 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–8 के उप नियम (i) का प्रतिस्थापन।**– उक्त नियमावली के नियम–8 के उप नियम–(i) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा।–

> ''(i) संवर्ग में सीधी भर्ती से नियुक्त प्रत्येक सदस्य पदग्रहण की तिथि से एक वर्ष तक परिवीक्षाधीन होगा। परन्तु परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, इसे 01 और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषप्रद नहीं होने पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सेवा समाप्त की जा सकेगी।''

8. **बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि–5 (पौधा संरक्षण) सेवा नियमावली, 2014 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–10 के उप नियम (1) एवं (2) का प्रतिस्थापन।**– उक्त नियमावली के नियम–10 के उप नियम–(1) एवं (2) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा।–

> ''(1) संवर्ग के सीधी भर्त्ती से नियुक्त सदस्यों को प्रथम वेतनवृद्धि एवं सेवा सम्पुष्टि हेतु केन्द्रीय परीक्षा समिति (राजस्व पर्षद्) द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा तथा राजभाषा निदेशालय द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में उतीर्ण होना अनिवार्य होगा।
>
> (2) विभागीय परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण राजस्व पर्षद् द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

9. **बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि–5 (पौधा संरक्षण) सेवा नियमावली, 2014 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–11 का विलोपन।**– उक्त नियमावली के नियम–11 को विलोपित किया जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पंकज कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव।

2ND September 2025

No. 04 /P.P.Sub. Ser.Rules/233/2023/695Agri.--In exercise of the powers conferred under Article-309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby making the following rules to amend the Bihar Agriculture Subordinate Services Category-5 (Plant Protection) Service Rules, 2014 (as amended from time to time):-

1. **Short title, extent and commencement-**
   (1) These rules may be called the **"Bihar Agriculture Subordinate Services Category-5 (Plant Protection) (Amendment) Service Rules, 2025"**.
   (2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.
   (3) It shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

2. **Substitution of sub-rules- (iv) and (v) of rule-2 of Bihar Agriculture Subordinate Services Category-5 (Plant Protection) Service Rules, 2014 (as amended from time to time)**- Sub-rules- (iv) and (v) of rule-2 of the said rules shall be substituted as follows-
   (iv) 'Commission' means "Bihar Public Service Commission";
   (v) 'Member' means a person appointed and working in the Bihar Agriculture Subordinate Services Category-5 (Plant Protection);

3. **Substitution of sub-rule (1) of rule-4 of Bihar Agriculture Subordinate Services Category-5 (Plant Protection) Service Rules, 2014 (as amended from time to time)** - Sub-rule-(1) of rule-4 of the said rules shall be substituted as follows-
   "(1) The structure of this cadre shall be as follows:

Sl.No.	Category Name	Rank Level	Status
(a)	Plant Protection Supervisor	Post of Basic Rank	Non Gazetted
(b)	Plant Protection Inspector	First Promotional Post	Non Gazetted

4. **Omission of sub-rules (2) and (3) of rule-5 of the Bihar Agricultural Subordinate Services Category-5 (Plant Protection) Service Rules, 2014 (as amended from time to time)** - Sub-rules (2) and (3) of rule-5 of the said rules shall be omitted.

5. **Substitution of Rule-6 of the Bihar Agriculture Subordinate Services Grade-5 (Plant Protection) Service Rules, 2014 (as amended from time to time)**- Rule-6 of the said Rules shall be substituted as follows.-

   "Educational Qualification– The minimum educational qualification for direct appointment to the basic category post in the cadre shall be a graduate degree in Agricultural Science from a recognized Agricultural University/ Institute."

6. **Substitution of sub-rules (b) and (e) of Rule-7 of Bihar Agriculture Subordinate Services Category-5 (Plant Protection) Service Rules, 2014 (as amended from time to time)**- Sub-rules (b) and (e) of Rule-7 of the said rules shall be substituted as follows.-
   "(b) The minimum age for applying in the competitive examination shall be 21 years and the maximum age shall be the same as may be determined from time to time by the General Administration Department for direct recruitment in the state government services. The age shall be calculated on the basis of 01 August of the advertisement year.

(e) The competitive examination will consist of the following papers-

(i) General Hindi - 100 Marks (One Paper)

(ii) General Knowledge - 100 Marks (One Paper)

(iii) Agricultural Science (Two papers of 200 marks each) Total – 400 Marks

It will be compulsory to pass Hindi subject of 100 marks in the competitive examination, but its marks will not be calculated for the purpose of preparing the merit list. The merit list will be prepared on the basis of the total marks obtained in two question papers of 200 marks each in agricultural science and one question paper of 100 marks in general knowledge. The syllabus of Hindi and general knowledge will be decided by Bihar Public Service Commission. The syllabus of agricultural science can be prepared by Bihar Public Service Commission in consultation with the department."

7. **Substitution of sub-rule (i) of rule-8 of Bihar Agriculture Subordinate Services Category-5 (Plant Protection) Service Rules, 2014 (as amended from time to time)**- Sub-rule-(i) of rule-8 of the said rules shall be substituted as follows-

"(i) Every member appointed by direct recruitment to the cadre shall be on probation for one year from the date of joining. But if the service is not satisfactory during the probation period, it may be extended for one more year for reasons to be recorded in writing. If the service is not satisfactory even during the extended period, the service may be terminated by the appointing authority."

8. **Substitution of sub-rules (1) and (2) of rule-10 of Bihar Agriculture Subordinate Services Category-5 (Plant Protection) Service Rules, 2014 (as amended from time to time)**- Sub-rules- (1) and (2) of rule-10 of the said rules shall be substituted as follows.-

"(1) It shall be compulsory for the members of the cadre appointed through direct recruitment to pass the departmental examination conducted by the central examination board (Board of Revenue) and the Hindi noting and drafting examination conducted by the Directorate of Official Languages for the first increment and confirmation in service.

(2) The subject, syllabus and procedure of the departmental examination shall be determined by the Revenue Council in accordance with the rules.

9. **Omission of Rule-11 of Bihar Agriculture Subordinate Services Category-5 (Plant Protection) Service Rules, 2014 (as amended from time to time)** - Rule-11 of the said rules shall be omitted.

By the order of the Governor of Bihar,
Pankaj kumar,
Principal Secretary to the Government of Bihar.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 1451-571+100-डी0टी0पी0 ।
Website: https://egazette.bihar.gov.in